# पोतलदान (व्यापक जोखिम) - पो.व्या.जो. अथवा मानक पॉलिसी

## मानक पॉलिसी

>> मानक पॉलिसी क्या है ?
>> मानक पॉलिसी के अंतर्गत किन जोखिमों को रक्षा प्रदान की जाती है ?
>> मानक पॉलिसी के अंतर्गत कौनसे जोखिम संरक्षित नहीं है ?
>> मानक पॉलिसी के अंतर्गत किन पोतलदानों पर ऋण बीमा के लिए रक्षा प्रदान की जाती है ?
>> क्या मानक पॉलिसी के सीमा क्षेत्र से किन्हीं पोतलदानों को अपवर्जित किया जाता है ?
>> क्या साख पत्र पर पोतलदानों को मानक पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित किया जाना चाहिए ?
>> क्या निर्यातक के संबंद्ध व्यापारियों को किए जानेवाले पोतलदानों पर रक्षा प्रदान की जाती है ?
>> क्या मानक पॉलिसी द्वारा परेषण आधार पर किए गए पोतलदानों पर रक्षा प्रदान की जाती है ?
>> वायु मार्ग से किए गए पोतलदानों को मानक पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित करने के लिए क्या करना होगा ?
>> क्या मानक पॉलिसी द्वारा परेषण आधार पर किए गए पोतलदानों पर रक्षा प्रदान की जाती है ?
>> क्या मानक पॉलिसी के अंतर्गत पोतलदानपूर्व जोखिम पर रक्षा प्रदान की जा सकती है ?
>> क्या १८० दिनों से अधिक के ऋण पर किए गए पोतलदानों के लिए रक्षा प्रदान की जा सकती है ?
>> क्या मानक पॉलिसी के अंतर्गत ईसीजीसी की देयता की कोई सीमा है ?
>> उचित अधिकतम देयता के साथ मानक पॉलिसी प्राप्त करने के बाद निर्यातक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाए कि उसका पोतलदान बीमाकृत है ?
>> साख सीमा का उद्देश्य क्या है तथा उसकी मंजूरी के लिए निर्यातक को क्या करना होगा ?
>> साख सीमा की मंजूरी हेतु कितना शुल्क अदा किया जाना चाहिए ?
>> क्या साख सीमा प्राप्त किए बिना कोई पोतलदान किया जा सकता है ?
>> प्रतिबंधित रक्षा वाले देश क्या हैं तथा ऐसे देशों को निर्यात करने के लिए विशेष प्रक्रिया लागू है ?
>> ई सी जी सी द्वारा प्रदान की जानेवाली रक्षा का प्रतिशत क्या है ?
>> मानक पॉलिसी के लिए निर्यातक को कितना न्यूनतम प्रीमियम की अदा करना होता है ?
>> पोतलदान की घोषणा व प्रीमियम की अदायगी की सीमा क्या है ?
>> लागू प्रीमियम दरें क्या है ?
>> क्या प्रीमियम दरों में किसी प्रकार की कटौती की अनुमति है ?
>> यदि खरीदार पर मांगी गई साख सीमा को या तो नामंजूर कर दिया गया है अथवा पूर्ण रूप से मंजूर नहीं किया गया है तो क्या निर्यातक द्वारा प्रीमियम देय होगा ?
>> क्या देय तारीख तक बिल के अशोधन की सूचना ई सी जी सी को दी जानी चाहिए ?
>> क्या ऋण अवधि में विस्तार अथवा बिल की अवधि में परिवर्तन के लिए ई सी जी सी का अनुमोदन आवश्यक है ?

**>> क्या अस्वीकृत माल की पुनर्बिक्री के लिए ई सी जी सी का अनुमोदन लिया जाना चाहिए ?**

**>> निर्यातक कब पॉलिसी के अंतर्गत दावे की अदायगी प्राप्त करने के लिए पात्र होगा ?**

**>> ई सी जी सी द्वारा दावे की अदायगी के बाद विदेशी खरीदार से ऋण की वसूली करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा ?**

**>> विदेशी खरीदार से वसूल की गई राशि किस प्रकार बाँटी जाएगी ?**

**>> पॉलिसी कैसे प्राप्त की जाए ?**

## पोतलदान (व्यापक जोखिम) - पो.व्या.जो. अथवा मानक पॉलिसी

## मानक पॉलिसी

**>> मानक पॉलिसी क्या है ?**

पोतलदान (व्यापक जोखिम) पॉलिसी जिसे सामान्यतया मानक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है तथा जो अल्पावधि ऋण यथा जो ऋण १८० दिनों से अधिक के लिए न हों, पर निर्यात किए जाने वाले माल से संबंधित जोखिमों पर रक्षा हेतु उपयुक्त है । यह पॉलिसी पोतलदान की तारीख से वाणिज्यिक व राजनीतिक दोनों जोखिमों को रक्षा प्रदान करती है । यह उन निर्याताकों को जारी की जाती है जिनका अगले १२ महीनों के लिए अनुमानित निर्यात पण्यावर्त ५० लाख रु. से अधिक हों । (जिन निर्यातकों का अनुमानित पण्यावर्त ५० लाख रु. अथवा उससे कम है उनके लिए लघु निर्यातक पॉलिसी उपयुक्त पॉलिसी है जिसका वर्णन अलग से किया गया है )

**>> मानक पॉलिसी के अंतर्गत किन जोखिमों को रक्षा प्रदान की जाती है ?**

पोतलदान (व्यापक जोखिम) पॉलिसी के अंतर्गत निगम पोतलदान की तिथि से निम्नलिखित जोखिमों को रक्षा प्रदान करता है :

**क. वाणिज्यिक जोखिम**

- खरीदार का दिवालिया होना
- खरीदार द्वारा निर्धारित अवधि में भुगतान करने में विफलता जो साधारणतया देय तारीख से ४ माह तक होती है ।
- कुछ शर्तों के अधीन खरीदार द्वारा वस्तुओं को स्वीकार न करना ।

**ख. राजनीतिक जोखिम**

- खरीदार के देश की सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना या कोई अन्य सरकारी कार्रवाई जिससे खरीदार द्वारा किए गए भुगतान अंतरण में अवरोध या विलम्ब उत्पन्न हो,
- खरीदार के देश में युद्ध, गृह युद्ध, क्रांति या नागरिक उपद्रव
- नये आयात प्रतिबंध अथवा वैध आयात लाईसेंस रद्द किया जाना
- भारत के बाहर समुद्री यात्रा में रूकावट या मार्ग परिवर्तन जिसके फलस्वरूप भाड़े या बीमा शुल्क की ऐसी अतिरिक्त अदायगी जिसकी राशि खरीदार से वसूल नहीं की जा सकती,
- भारत से बाहर होने वाली क्षति का कोई ऐसा कारण जिसके लिए साधारण बीमाकर्ता द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है और जो निर्यातक और खरीदार दोनों के नियंत्रण के परे हो,

**>> मानक पॉलिसी के अंतर्गत कौनसे जोखिम संरक्षित नहीं है ?**

पॉलिसी निम्नलिखित जोखिमों से होनेवाली हानियों के रक्षा प्रदान नहीं करती है :

- खरीदार द्वारा शुरु किए गए वाणिज्यिक विवाद, गुणवत्ता विवाद सहित, उन मामलों को छोड़कर जिनमें निर्यातक ने खरीदार के देश के किसी सक्षम न्यायालय से अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त की हो,
- वस्तुओं के स्वरूप में निहित कारण
- खरीदार द्वारा अपने देश के प्राधिकारियों से आवश्यक आयात अथवा विदेशी मुद्रा संबंधी प्राधिकार प्राप्त न कर पाना,
- निर्यातक के किसी एजेंट अथवा वसूलीकर्ता बैंक का दिवालिया होना या चूक करना,
- वस्तुओं को हुई ऐसी क्षति जिसके लिए साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा रक्षा प्रदान की जा सकती है,
- विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में होने वाली घट - बढ़, और
- निर्यातक द्वारा निर्यात संविदा की शर्तों को पूरा न कर पाना अथवा उसकी ओर से लापरवाही होना ।

**>> मानक पॉलिसी के अंतर्गत किन पोतलदानों पर ऋण बीमा के लिए रक्षा प्रदान की जाती है ?**

मानक पॉलिसी, निर्यातक को पॉलिसी जारी करने के उपरांत २४ माह की अवधि के दौरान ऋण शर्तों पर उसके द्वारा किए गए सभी पोतलदानों को रक्षा प्रदान करने के लिए है । दूसरे शब्दों में, निर्यातक को चाहिए कि उस पॉलिसी के अंतर्गत उसके द्वारा अगले २४ महीनों में अपने स्वयं के सहयोगियों को छोड़कर अन्य सभी खरीदारें को डी पी, डी ए अथवा खुली सुपुर्दगी आधार पर किए जाने वाले प्रत्येक पोतलदान पर रक्षा हेतु प्रस्ताव करे ।

**>> क्या मानक पॉलिसी के सीमा क्षेत्र से किन्हीं पोतलदानों को अपवर्जित किया जाता है ?**

निर्यातक ऐसे पोतलदानों का अपवर्जन कर सकता है, जिनके लिए अग्रिम भुगतान कर दिया गया हो या उनका, जिन्हे ऐसे अपरिवर्तनीय साख- पत्रों का समर्थन हो जिनकी भारत स्थित बैंको ने पुष्टि कर दी हो क्यों कि ऐसे सौदों में उसे कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता है । व्यापार प्रतिष्ठान की हैसियत वाले व उससे उच्च स्तर के निर्यातकों को कुछ विशिष्ट पण्यों अथवा विनिर्दिष्ट देशों में स्थित खरीदारों को किए जाने वाले पोतलदानों अथवा इन दोंनो के मिलानों को उनके द्वारा की गई मानक पॉलिसी के सीमा क्षेत्र से अपवर्जित किया जा सकता है ।

**>> क्या साख पत्र पर पोतलदानों को मानक पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित किया जाना चाहिए ?**

मानक पॉलिसी के धारक निर्यातक, अपरिवर्तनीय साख पत्र पर किए जानेवाले पोतलदानों को पॉलिसी के सीमा क्षेत्र से अपवर्जित करवा सकते हैं । तथापि यह नोट किया जाए कि जब तक कि अपरिवर्तनीय साख पत्रों की पुष्टि भारत स्थित बैंको ने न की हो अपरिवर्तनीय साख पत्र के अंतर्गत भुगतान राजनीतिक जोखिमों के अधीन होंगे । अत: निर्यातक के लिए उत्तम सलाह यही होगी कि वे इस प्रकार के पोतलदानों को पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित करवा लें । ऐसे बीमा प्रीमियम की दरें कम लगाई जाती है क्यों कि दरें कम लगाई जाती है क्यों कि इनमें वाणिज्यिक जोखिम नहीं होते है । इस प्रकार के पोतलदानों के लिए निर्यातक को केवल राजनितिक के जोखिमों से रक्षा अथवा व्यापक जोखिमों से रक्षा अर्थात सभी राजनितिक जोखिमों के लिए रक्षा तथा साख पत्र खोलनेवाले बैंक की चूक अथवा दिवालियेपन के लिए रक्षा में से चयन का विकल्प रहेगा । व्यापक जोखिम रक्षा ऐसे मामलों में जहाँ साख पत्र खोलने वाला बैंक, साख पत्र में पाई जानेवाली विसंगतियाँ जो स्पष्ट रूप से निर्यातक को आरोपित नहीं करती के आधार पर भुगतान करना अस्वीकार कर देता है, के मामले में सकल बीजक मूल्य के २५% तक निर्यातक को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है । इनमें से किसी भी मामले में निगम द्वारा केवल तभी रक्षा प्रदान की जाएगी जब निर्यातक अपरिवर्तनीय साख-पत्रों पर किए जाने वाले सभी पोतलदानों को पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित करने के लिए सहमत हो । चुनिंदा सौदों के लिए रक्षा उपलब्ध नहीं होगी ।

**>> क्या निर्यातक के संबंद्ध व्यापारियों को किए जानेवाले पोतलदानों पर रक्षा प्रदान की जाती है ?**

विदेशी खरीदार जो निर्यातक के सहयोगी हैं अर्थात जिनका निर्यातक के कारोबार में वित्तीय हित है, को सामान्यतया पॉलिसी से अपवर्जित किया जाता है । तथापि, यदि निर्यातक चाहे तो इन्हें पॉलिसी के अन्तर्गत राजनितिक जोखिमों से रक्षा प्रदान की जा सकती है । संबद्ध पक्ष व निर्यातक दोनों यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसमें निर्यातक की हिस्सेदारी ४९% अधिक नहीं है, तो राजनीतिक जोखिमों के साथ-साथ दिवालियेपन से उत्पन्न जोखिमों की भी रक्षा प्रदान की जा सकती है ।

**>> क्या मानक पॉलिसी द्वारा परेषण आधार पर किए गए पोतलदानों पर रक्षा प्रदान की जाती है ?**

ऐसे पोतलदान, जो किसी विदेशी एजेंट को इस समझौते के अंतर्गत किए जाते है कि वह निर्यातक के एक एजेंट के रूप में माल प्राप्त करेगा तथा उसे बेचकर प्राप्त राशि निर्यातक को प्रेषित कर देगा, को सामान्यतया पॉलिसी से अपवर्जित किया जाता है । तथापि यदि निर्यातक की इच्छा हो तो निगम उन्हें इस पॉलिसी में शामिल कर सकता है । सम्पूर्ण परेषण पर केवल राजनितिक जोखिमों के अन्तर्गत रक्षा प्रदान की जाएगी । तथापि यदि माल अंतिम खरीदारों की उधारी के आधार पर बेचा जा रहा है, तो इस प्रकार की बिक्रियों पर व्यापक रक्षा प्रदान की जा सकती है ।

**>> वायु मार्ग से किए गए पोतलदानों को मानक पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित करने के लिए क्या करना होगा ?**

जहाँ पोतलदान वायुमार्ग से किए जाते हैं वहाँ खरीदार अक्सर माल की सुपुर्दगी, बिलों की अदायगी करने से पूर्व अथवा भुगतान के लिए उसके स्वीकार करने से पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, पाने में सफल हो जाते हैं । संविदा के अनुसार उसके उपरांत यदि खरीदार भुगतान करने में असफल रहता है तथा यदि किए गए पोतलदानों के लिए प्रीमियम की अदायगी डी पी अथवा डी ए भुगतान की शर्तों पर की गई हो तो पॉलिसी के अंतर्गत हानि के जोखिम को संरक्षित नहीं किया जाएगा । तथापि, निर्यातक इस प्रकार की आकस्मिकताओं पर सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, यदि उसने ऐसे खरीदार पर डी ए अथवा खुली सुपुर्दगी की शर्तों पर साख-सीमा प्राप्त की हो तथा खुली सुपुर्दगी की शर्तों के लिए लागू प्रीमियम दर का भुगतान भी करे ।

**>> क्या मानक पॉलिसी के अंतर्गत पोतलदानपूर्व जोखिम पर रक्षा प्रदान की जा सकती है ?**

मानक पॉलिसी केवल पोतलदानोत्तर जोखिमों पर ही रक्षा प्रदान करती है । पोतलदानपूर्व हानियों यथा निर्यातक के वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध, खरीदार के देश में वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध, युद्ध, गृहयुद्ध आदि के कारण हुई हानियों पर पॉलिसी के अधीन रक्षा प्रदान नहीं की जाती है । सामान्यतया इस प्रकार जोखिम कच्चे माल, प्राथमिक उत्पाद, उपभोक्ता वस्तुएँ एवं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ, जिन्हें वैकल्पिक खरीदारों को आसानी से बेचा जा सकता है, पर काफी कम हैं । तथापि जहाँ, निर्यात में ऐसी वस्तु निहित है जिसका विनिर्माण खरीदार के गैर मानक विनिर्देश से हुआ है तो रक्षा संविदा पॉलिसी के अंतर्गत पोतलदान पूर्व व साथ ही साथ पोतलदानोत्तर जोखिमों पर प्रदान की जा सकती है (विवरण अलग से दिया गया है) ।

**>> क्या १८० दिनों से अधिक के ऋण पर किए गए पोतलदानों के लिए रक्षा प्रदान की जा सकती है ?**

यह पॉलिसी अधिकतम १८० दिनों तक की ऋण अवधि वाले पोतलदानों पर रक्षा प्रदान करने के लिए ही है । तथापि, अपवादात्मक मामलों में अधिक ऋण अवधि पर किए गए पोतलदानों के लिए भी रक्षा प्रदान की जाती है बशर्ते कि इस प्रकार की दीर्घ अवधि के ऋण, संबंधित निर्यात वस्तुओं के लिए न्यायसंगत हों ।

**>> क्या मानक पॉलिसी के अंतर्गत ईसीजीसी की देयता की कोई सीमा है ?**

हाँ, पॉलिसी जारी करने की तारीख से २४ महीनों में किए जाने वाले सभी पोतलदानों को प्रदान की जानेवाली रक्षा के लिए निगम प्रत्येक पॉलिसी के अन्तर्गत अधिकतम देयता निर्धारित करेगा । यह अधिकतम देयता वह सीमा है जहाँ तक
ईसीजीसी प्रत्येक पॉलिसी वर्ष में किए गए पोतलदानों को वाणिज्यिक तथा राजनीतिक, दोनों प्रकार के जोखिमों के लिए रक्षा प्रदान करना स्वीकार करेगा । निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय विदेशी खरीदारों के पास अधिकतम बकाया भुगतानों का अनुमान कर लें तथा ऐसे ही मूल्य के अनुसार अधिकतम देयता वाली पॉलिसी लें । आवश्यकता पड़ने पर पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम देयता के बाद में बढाया जा सकता है ।

**>> उचित अधिकतम देयता के साथ मानक पॉलिसी प्राप्त करने के बाद निर्यातक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाए कि उसका पोतलदान बीमाकृत है ?**

निर्यातक को चाहिए कि प्रत्येक विदेशी खरीदार के संबंध में, जिसे वह डी पी / डी ए / ओ डी भुगतान की शर्तों पर पोतलदान करना चाहता है, पर ईसीजीसी से साख सीमा का अनुमोदन प्राप्त कर ले । इसके अतिरिक्त यदि पोतलदान, ईसीजीसी द्वारा वर्गीकृत प्रतिबंधित रक्षावाले कुछ देशों में स्थित खरीदार को किया जाना है

(विवरण हेतु नीचे देखे) तो प्रत्येक पोतलदान के लिए ईसीजीसी का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए । निर्यातक को अपने सभी पोतलदानों की घोषणा भी करनी होगी तथा बाद में स्पष्ट किए अनुसार प्रीमियम की अदायगी करनी होगी ।

### >> साख सीमा का उद्देश्य क्या है तथा उसकी मंजूरी के लिए निर्यातक को क्या करना होगा ?

पॉलिसी के अंतर्गत वाणिज्यिक जोखिमों पर केवल तब ही रक्षा प्रदान की जाती है जब निगम द्वारा प्रत्येक खरीदार जिन्हें ऋण शर्तों पर पोतलदान किया गया है, पर साख सीमा का अनुमोदन किया गया हो । अत: निर्यातक को प्रत्येक खरीदार पर उचित साख सीमा हेतु आवेदन करना होगा । खरीदार की उधार पात्रता के संबंध में बैंको व विदेश में स्थित विशेषज्ञ एजेंसियों से प्राप्त साख रिपोर्टों की छान-बीन किए जाने के उपरांत ईसीजीसी स्वयं के निर्णय के आधार पर खरीदार पर साख सीमा अनुमोदित करेगा । जिस सीमा तक, उस खरीदार के संबंध में वाणिज्यिक जोखिमों से उत्पन्न हानियों पर वह दावे की अदायगी करेगा । साख सीमा एक परिक्रामी सीमा है तथा एक बार अनुमोदित होने पर यह उस खरीदार को किए जाने वाले सभी पोतलदानों पर लागू होगी बशर्ते कि दो पोतलदानों के बीच १२ महीनों से अधिक का अंतर न हो । साख सीमा वह सीमा है जिस सीमा तक वाणिज्यिक जोखिमों के लिए खरीदार पर निगम की अरक्षितता होती है न कि उसे किए जाने वाले पोतलदान के मूल्य की सीमा । राजनीतिक जोखिमों के कारण उत्पन्न हानियों के मामले में निगम की अरक्षितता साख सीमा द्वारा सीमित नहीं होती । अत: प्रत्येक पोतलदान के पूर्ण मूल्य पर प्रीमियम की अदायगी की जानी चाहिए भले ही जहाँ पोतलदान का मूल्य अथवा अदायगी के लिए बकाया बिलों का कुल मूल्य साख सीमा से अधिक हो ।

जैसा कि साख सीमा, ऋण की उस सुरक्षित सीमा को दर्शाती है जिस तक खरीदार को ऋण की मंजूरी दी जा सकती है, निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे यह देखें कि किसी एक समय में खरीदार के साथ बकाया बिलों का कुल मूल्य साख सीमा के अनुपात से अधिक न हो । यदि जहाँ निगम उस सीमा तक साख सीमा प्रदान करने को तैयार हो जो बकाया बिलों के मूल्य से काफी कम हो, निर्यातक अपनी समस्या के संबंध में निगम के अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं ।

### >> साख सीमा की मंजूरी हेतु कितना शुल्क अदा किया जाना चाहिए ?

ईसीजीसी विदेशी खरीदार की हैसियत का मूल्यांकन करने के लिए बैंको व विदेश में स्थित ऋण सूचना एजेंसियों से विदेशी खरीदार पर रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु काफी राशि खर्च करता है तथा इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर साख सीमाओं का अनुमोदन करता है । ईसीजीसी प्रत्येक साख सीमा आवेदन पर ५००/- रु. का हैसियत जाँच शुल्क चार्ज करता है । यदि किसी निर्यातक की साख सीमा ५ लाख रु. तक है तथा वह खरीदार

पर ऐसी बैंक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जो ६ महीने से अधिक पुरानी न हो तो उसे किसी प्रकार की हैसियत जाँच शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है । यदि सीमा की तत्काल आवश्यकता है तो निर्यातक ईसीजीसी से खरीदार पर फैक्स रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध कर सकता है तथा फैक्स के चार्ज के रूप में २०००/- रु. भेजकर वैकल्पिक तौर पर निर्यातक अपने बैंक के ज़रिए रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है तथा त्वरित निर्णय हेतु ईसीजीसी को उसकी मूल प्रति प्रस्तुत कर सकता है ।

**>> क्या साख सीमा प्राप्त किए बिना कोई पोतलदान किया जा सकता है ?**

हाँ, निम्नलिखित परिस्थितियों में पॉलिसी के अधीन पोतलदानों पर रक्षा प्रदान की जा सकती है भले ही उसने साख सीमा के लिए आवेदन नहीं किया है । दूसरे शब्दों में निर्यातक विवेकाधीन साख सीमा के लिए आवेदन कर सकता है ।

१) किसी खरीदार विशेष पर डी पी / सी ए डी सौदों के लिए २० लाख रु. बशर्ते कि दावा, पॉलिसी अवधि के दौरान चार खरीदारों तक सीमिति होगा ।

२) जहाँ पॉलिसी वर्ष के तत्काल पहले निर्यातक ने प्रीमियम के रूप में ५ लाख रु. अदा किए हैं ऐसे मामले में डी ए / ओ डी सौदों के लिए किसी खरीदार विशेष पर १० लाख रु.

३) डी ए / ओ डी सौदों के लिए १५ लाख रु. तथा डी पी / सी ए डी सौदों के लिए ४० लाख रु. बशर्ते कि इस उपधारा के अधीन किसी एक खरीदार पर कुल साख सीमा ४० लाख रु. से अधिक न हो

i) पिछले एक वर्ष के दौरान निर्यातक ने इन्हीं भुगतान शर्तों पर खरीदार को कम से कम एक पोतलदान किया है तथा यह निर्यातक द्वारा ली गई विवेकाधीन सीमा से कम नहीं थी ।

ii) खरीदार ने उस पोतलदान के लिए देय तारीख को अदायगी की है

४) डी पी / सी ए डी सौदों के लिए लागू उपर्युक्त विवेकाधीन सीमाएँ दृश्य साख पत्र पर भी होंगी तथा डीए/ओडी सौदों के लिए लागू विवेकाधीन उपलब्ध सीमाएँ साख पत्र मीयादी शर्त पर भी उपलब्ध होंगी ।

**>> प्रतिबंधित रक्षा वाले देश क्या हैं तथा ऐसे देशों को निर्यात करने के लिए विशेष प्रक्रिया लागू है ?**

विश्व के अधिकांश देशों के लिए राजनितिक जोखिम से रक्षा हेतु निगम कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है । ऐसे देशों को "खुली रक्षा" वाले देश कहा जाता है । विश्व के ८५% देश जिन्हें भारत के निर्यात के ९८% से भी अधिक निर्यात किया जाता है वे खुली रक्षा वाले देश हैं । तथापि, कुछ देशों में जहाँ राजनितिक जोखिम बहुत अधिक है, इन देशों के लिए प्रतिबंधित आधार पर रक्षा प्रदान की जाती है । (क) इस प्रकार के अधिकांश

देशों के संबंध में साख सीमाओं के स्थान पर परिक्रामी सीमाएँ जारी की जाती है जो सामान्यतया एक वर्ष के लिए वैध होती है । परिक्रामी सीमा की मंजूरी की प्रक्रिया वही है जो साख सीमा की मंजूरी के लिए है । प्रतिबंधित रक्षा के अंतर्गत आने वाले कुछ शेष देशों जो उच्च जोखिम वाले देश हैं, के संबंध में प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर विशिष्ट अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं । विशिष्ट अनुमोदन की वैधता की अवधि छः महीने है ।

प्रतिबंधित रक्षावाले देशों एवं प्रत्येक के लिए लागू हामीदारी पॉलिसी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें ।

### >> ई सी जी सी द्वारा प्रदान की जानेवाली रक्षा का प्रतिशत क्या है ?

ई सी जी सी सामान्यत: हानि की ९०% राशि का ही भुगतान करता है । चाहे यह हानि वाणिज्यिक अथवा राजनीतिक जोखिम के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हो । शेष १०% हानि निर्यातक को स्वयं वहन करनी होती है । तथापि कुछ विशेष मामलों में रक्षा के प्रतिशत को और भी कम करने के अधिकार, ई सी जी सी के पास हैं ।

### >> मानक पॉलिसी के लिए निर्यातक को कितना न्यूनतम प्रीमियम की अदा करना होता है ?

पॉलिसी न्यूनतम १०,०००/- रु. रुपये के प्रीमियम की अदायगी पर जारी की जा सकती है, किए जानेवाले पोतलदानों पर देय प्रीमियम में से समायोजित किया जाएगा । न्यूनतम प्रीमियम के पूर्णतया समायोजित हो जाने के बाद निगम को घोषित किए जानेवाले पोतलदानों के लिए अतिरिक्त राशि प्रीमियम के रूप में अदा करनी होगी । यदि पॉलिसी अवधि के दौरान किए गए वास्तविक पोतलदानों पर देय प्रीमियम, न्यूनतम प्रीमियम की राशि से कम होगा तो भी पॉलिसी प्राप्त करते समय अदा किए गए न्यूनतम प्रीमियम की राशि निर्यातक को लौटाई नहीं जाएगी ।

### >> पोतलदान की घोषणा व प्रीमियम की अदायगी की सीमा क्या है ?

प्रत्येक माह की १५ तारीख या इससे पूर्व पॉलिसीधारक को ईसीजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूर्ववर्ती माह में उसके द्वारा किए गए सभी पोतलदानों की घोषणा ईसीजीसी को करनी होती है । पोतलदानों पर देय प्रीमियम को सबसे पहले न्यूनतम प्रीमियम के सामने समायोजित किया जाएगा और न्यूनतम प्रीमियम की समाप्ति के बाद निर्यातक को बाद में किए गए पोतलदानों के लिए प्रीमियम, घोषणाओं के साथ जमा करना होगा । यदि माह में एक भी पोतलदान न किया गया हो तो 'शून्य' घोषणा भेजी जानी चाहिए । निगम पॉलिसीधारक को प्रीमियम दर का परिकलन करने के लिए पॉलिसी के साथ-साथ प्रीमियम दरों की अनुसूची भी प्रदान करता है ।

## >> लागू प्रीमियम दरें क्या है ?

प्रीमियम दर भुगतान की शर्तों, खरीदार के देश के वर्गीकरण तथा पोतलदान के व्यापक जोखिम अथवा केवल राजनीतिक जोखिमों के लिए संरक्षित होने आदि के आधार पर परिवर्तित होती रहती है । सहयोगी संस्थाओं को किए गए पोतलदानों तथा अपरिवर्तनीय साख पत्रों पर किए गए पोतलदानों, जहाँ निर्यातक ने इस प्रकार के पोतलदानों पर रक्षा का विकल्प लिया है, राजनीतिक जोखिम के लिए लागू दर देय है । किसी विशेष सौदे के लिए देय प्रीमियम की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कर "प्रीमियम कॅलक्यूलेटर" पर जाएँ ।

## >> क्या प्रीमियम दरों में किसी प्रकार की कटौती की अनुमति है ?

यदि दो वर्षों की पॉलिसी वर्ष के दौरान ईसीजीसी पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया गया है तो पॉलिसी के नवीकरण के समय प्रीमियम दरों में १०% का नो क्लेम बोनस प्रदान किया जाएगा । प्रत्येक पॉलिसी अवधि में नो क्लेम बोनस तब तक जमा किया जा सकता है जब तक वह ५०% की अधिकतम सीमा तक नहीं पहुँच जाता ।

## >> यदि खरीदार पर मांगी गई साख सीमा को या तो नामंजूर कर दिया गया है अथवा पूर्ण रूप से मंजूर नहीं किया गया है तो क्या निर्यातक द्वारा प्रीमियम देय होगा ?

उन खरीदारों को किए गए पोतलदानों के संबंध में जिन पर ईसीजीसी ने साख सीमा नामंजूर कर दी है, खरीदार के पास केवल राजनीतिक जोखिमों पर प्रीमियम अदा करने का अथवा कोई भी प्रीमियम अदा न करने का विकल्प होगा । यदि ईसीजीसी द्वारा खरीदार पर निर्यातक द्वारा मांगी गई साख सीमा की पूरी राशि की मंजूरी नहीं की जाती तो निर्यातक के पास खरीदार को किए जानेवाले सभी पोतलदानों पर व्यापक प्रीमियम की अदायगी (वाणिज्यिक जोखिमों के लिए मंजूर साख सीमा की रक्षा तक किंतु राजनीति जोखिमों के लिए पूर्ण रक्षा के साथ ) अथवा सभी पोतलदानों पर केवल राजनीतिक जोखिमों के लिए प्रीमियम की अदायगी अथवा मानक पॉलिसी के अंतर्गत उस खरीदार को किसी भी प्रकार के प्रीमियम की अदायगी न करने का विकल्प है ।

## >> क्या देय तारीख तक बिल के अशोधन की सूचना ई सी जी सी को दी जानी चाहिए ?

हाँ, यदि विदेशी खरीदार द्वारा देय तारीख तक किसी बिल का भुगतान नहीं किया गया हो तो हानि को रोकने या कम करने के लिए पॉलिसीधारक को अविलंब तथा प्रभावी कदम उठाने चाहिए । ऐसे सभी बिलों को, जिनका ३० से अधिक दिनों तक भुगतान न किया गया हो के संबंध में प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई निर्धारित प्राप्त प्रारुप में दर्शाते हुए ई सी जी सी को प्रस्तुत की जानी चाहिए । भुगतान की अवधि में विस्तार, बिलों का डी/पी

अथवा डी/ए में परिवर्तन अथवा अस्वीकृत माल की कम कीमतों पर पुनर्बिक्री (यदि हानि कुछ सीमा से अधिक हो ) के लिए ई सी जी सी की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है ।

**>> क्या ऋण अवधि में विस्तार अथवा बिल की अवधि में परिवर्तन के लिए ई सी जी सी का अनुमोदन आवश्यक है ?**

हाँ, कई बार निर्यातक के लिए डी/ए बिल की ऋण अवधि में विस्तार करने अथवा ऐसी परिस्थितियों में जब खरीदार बिल की मूल अवधि तक भुगतान दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ होता है, डी/पी बिल को डी/ए बिल में परिवर्तित करना आवश्यक हो जाता है । जब भी उपयुक्त कारणों के लिए पॉलिसीधारक इस प्रकार का विस्तार अथवा परिवर्तन चाहता है उसे चाहिए कि वह निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करे तथा आवश्यक प्रीमियम की अदायगी करें ।

**>> क्या अस्वीकृत माल की पुनर्बिकी के लिए ई सी जी सी का अनुमोदन लिया जाना चाहिए ?**

हमेशा नहीं; यदि खरीदार माल की सुपुर्दगी लेना अस्वीकार कर देता है तो पॉलिसीधारक का दायित्व है कि वह संभावित हानि को जितना हो सके कम करने के लिए तत्काल प्रभावी कार्रवाई करे । यदि वह वैकल्पिक खरीदार को माल की पुनर्बिक्री करना चाहता है अथवा भारत में माल वापस लाना चाहता है और यदि पुनिर्बिक्री अथवा पुनआयात के कारण हानि सकल बीजक मूल्य के २५% से अधिक है तो उसे निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा । यदि आवश्क हो तो माल की पुनर्बिक्री की सूचना मूल खरीदार को दी जाए जिससे यदि आवश्यक समझा गया तो हानि की वसूली के लिए उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके ।

**>> निर्यातक कब पॉलिसी के अंतर्गत दावे की अदायगी प्राप्त करने के लिए पात्र होगा ?**

पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकृत जोखिम में से किसी जोखिम के कार्यान्वित होने पर दावा उत्पन्न होता है । यदि विदेशी खरीदार दिवालिया हो जाए तो निर्यातक को दिवालिया की सम्पत्ति में से अपनी हानि के लिए कानूनी रूप से दावेदार स्वीकार कर लिए जाने के एक माह बाद अथवा नियत तिथि से चार माह बाद (इनमें से जो भी पहले हो) निर्यातक दावे के लिए पात्र हो जाता है । दीर्घकालिक चूक के मामलों में दावा, देय तिथि के चार महीनों बाद देय होता है । भारत के

बाहर समुद्री यात्रा में अवरोध या मार्ग परिवर्तन होने पर निर्यातक द्वारा अतिरिक्त ढुलाई, परिवहन अथवा बीमा प्रभाव के मामले में हानि के सबूत प्रस्तुत करने पर दावा देय होता है ।

तथापि, उन देशों के निर्यात के संबंध में जहाँ अंतरण में बहुत विलंब अनुभव किया जाता है, ई सी जी सी प्रतीक्षा अवधि बढ़ा सकता है तथा इस तरह के पोतलदानों के लिए दावे विस्तारित अवधि के समाप्त होने पर देय हो जाते हैं ।

जहाँ निर्यातक द्वारा संविदा की शर्तों को पूरा करने के संबंध में मतभेद होने, प्रतिदावा किये जाने या मुआवजा माँगने के कारण खरीदार माल स्वीकार नहीं करता या उसके लिए भुगतान नहीं करता वहाँ निगम पार्टियों के बीच विवाद का समाधान हो जाने और खरीदार के देश में किसी न्यायालय में डिक्री प्राप्त हो जाने के बाद देय राशि निश्चित हो जाने पर दावे पर विचार करता है । जिन मामलों में ई सी जी सी इस बात से संतुष्ट हो कि निर्यातक का कोई दोष नहीं है और खरीदार के विरुद्ध कारवाई करने से कोई लाभ नहीं होगा, उनमें इस शर्त की छूट दी जाती है ।

### >> ई सी जी सी द्वारा दावे की अदायगी के बाद विदेशी खरीदार से ऋण की वसूली करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा ?

ई सी जी सी द्वारा दावे के भुगतान कर देने से निर्यातक की वसूली प्रक्रिया तथा जिस राशि की वसूली की जा सकती है, उसे प्राप्त करने की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है । अत: निर्यातक को चाहिए कि वे ई सी जी सी से परामर्श कर ऋण की वसूली के लिए अविलंब तथा प्रभावी कदम उठाए । अपनी ओर से ई सी जी सी निर्यातक को विश्वास पात्र वकील या ऋण वसूल करने वाली एजेंसी के नाम तथा खरीदार के देश में भारत के वाणिज्यिक प्रतिनिधि का सहयोग प्रदान करके निर्यातक की सहायता करेगा ।

यह भी नोट किया जाए कि ई सी जी सी से दावा प्राप्त करने के उपरांत निर्यातक विदेशी खरीदारों से राशि की वसूली के लिए मुद्रा नियंत्रण प्राधिकारी के प्रति अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है ।

### >> विदेशी खरीदार से वसूल की गई राशि किस प्रकार बाँटी जाएगी ?

वसूल की गई सभी राशियाँ, वसूल के लिए किए गए व्यय को घटाकर ई सी जी सी के साथ उसी अनुपात में बाँटी जाएंगी जिसमें मूलत: हानि की हिस्सदारी की गई थी ।

### >> पॉलिसी कैसे प्राप्त की जाए ?

निर्यातक को प्रस्ताव पत्र, जो यहाँ से डाऊन लोड करके अथवा ई सी जी सी के किसी भी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, भरकर समीप के ई सी जी सी कार्यालय में भेजना चाहिए । वह प्रीमियम दरों के लिए, जो

उसे प्रस्ताव पत्र के साथ ही भेजी जाएगी, अपनी स्वीकृति की पुष्टि भी करे तथा न्यूनतम प्रीमियम के तौर पर १०,०००/- रुपये जमा करे ।

मानक पॉलिसी को प्रस्ताव पत्र डाऊन लोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें ।